न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–विदिशा

नरेश सक्सैना पुत्र श्री रामस्वरूप सक्सैना, अध्यक्ष, नवदुर्गा उत्सव समिति, लेटरी, जिला विदिशा (म.प्र.) –– आवेदक

विरूद्ध

(1) मध्य प्रदेश शासन, द्वारा कलेक्टर, जिला–विदिशा

(2) शिवओम दुबे पुत्र श्री राधेश्याम दुबे, वार्ड नं.3 नयापुरा लटेरी जिला विदिशा (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार लटेरी, जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 63/अ-68-2013-14 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, तहसीलदार लटेरी जिला बिदिशा द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र प्रकरण क्रमांक 63/अ–68/2012–13/108 दिनांक 01.05.2015 आवेदक को इस आशय से दिया गया कि ग्राम लटेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1128/4 रकवा 0.825 मे से 5 पक्की दुकानों का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। इसलिये मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत किये गये नवीन संशोधन दिनांक 30.11.2011 के तहत् बाजार मूल्य के अनुसार अतिक्रमित रकवा पर 20 प्रतिशत के मान से अर्थदण्ड आरोपित किया जाये।

2– यहकि, उक्त सूचना पत्र का आवेदक द्वारा विधिवत् रूप से जबाव प्रस्तुत किया एवं बताया कि जिस रिपोर्ट के आधार पर शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 1128/4 रकवा 0.825 है0 पर नवदुर्गा उत्सव समिति अतिक्रमण बताया गया है, उक्त प्रतिवेदन मौके की स्थिति का आकलन किये बिना ही मनमाने ढ़ग से दिया गया है, आवेदक संस्था का अतिक्रमण, अधिपत्य भूमि खसरा क्रमांक 1128/4 है0 में नहीं है और न ही इस भूमि में समिति

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3241/I/15 जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक एवं अनावेदक क्र. 2 की ओर से श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अत: संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, विदिशा को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 30.05.2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों। उभय पक्ष सूचित हो। **अध्यक्ष**	